

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पटना

पटना, दिनांक-.....

विषय:- जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-82/वि0कार्य0, दिनांक 30.08.2016 के आलोक में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में मृतक स्व0 बेला सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कौर, तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना सिटी को मासिक पेंशन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 60,000.00 (साठ हजार रू0) मात्र का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पटना को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पटना को वर्तमान आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, पटना को कुल आवंटित राशि
शून्य	रू0 60,000.00(साठ हजार रू0) मात्र	रू0 60,000.00(साठ हजार रू0) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि रू0 60,000.00 (साठ हजार रू0) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 2235602000004 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे। राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989/बी(2), दिनांक 16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पटना की होगी।

5. उक्त आवंटित राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में मृतक स्व0 बेला सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कौर, तख्त श्री हरमंदिरजी, पटना सिटी को पेंशन भुगतान के रूप में किया जाएगा। किसी भी अन्य योजना के कार्य पर इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का भुगतान लाभुक की पहचान कर चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, पटना का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-

सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना
/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा-ए को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- सी/सी0आई0मिस0-4005/2008.....,पटना, दिनांक 26-9-16
प्रतिलिपि:- ✓ आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव